भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1848

06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

1848. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास डिजिटल विभाजन और जनता के बीच डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र की पहुंच और स्वीकार्यता की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए कोई रणनीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स में वृद्धि से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) देश में 'चिकित्सा डेटा समेकन और प्रबंधन' में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा में अवसंरचना विकास/सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है जो कुशल, सुलभ, समावेशी, किफायती, समय पर और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है। इस मिशन का उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को भरने के लिए देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है।

मिशन सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी या हार्डवेयर या दोनों क्षेत्रों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) बनाने के लिए सहायता और ऑफ़लाइन मोड प्रदान करता है। डिजिटल साक्षरता की कमी का समाधान करने के उद्देश्य से आभा ऐप, आरोग्य सेतु ऐप जैसे विभिन्न एप्लिकेशन बहुभाषी और उपयोग में सहज हैं।

स्वास्थ्य-तकनीक स्टार्टअप में नवाचारों का समर्थन करके स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) स्वास्थ्य तकनीक स्टार्टअप सहित सभी डिजिटल स्वास्थ्य हितधारकों द्वारा खुले मानकों को अपनाने को बढ़ावा देता है। सरकार ने इन समाधानों को एबीडीएम पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने के लिए एबीडीएम सैंडबॉक्स की स्थापना की है। सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य को अपनाने में तेजी लाने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना, माइक्रोसाइट, फार्मेसियों और प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग जैसी विभिन्न पहल भी शुरू की हैं, जो विशेष रूप से स्टार्टअप सहित निजी क्षेत्र पर केंद्रित हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 14 दिसंबर 2020 को स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति (एचडीएम नीति) एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ के रूप में जारी की गई थी, जिसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिभागियों/हितधारकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानकों पर जोर डाला गया था। स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति निर्दिष्ट करती है कि व्यक्तिगत सहमति के बिना किसी अन्य संस्था के साथ कोई डेटा साझा नहीं किया जाएगा।

एबीडीएम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मानव संसाधन, सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी), तथा क्षमता निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें सुविधाओं/स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने और एबीडीएम पारिस्थितिकी तंत्र के तहत राज्य स्वास्थ्य डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमों/समाधानों को एकीकृत करने में आवश्यक सहायता भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) और टेलीमेडिसिन सेवाओं जैसे आईटी क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

******